## विचार बिन्दु

**निरन्तर बदलने की इच्छा रखना एक ताकत होती है, चाहे इसकी वजह से कंपनी का एक बड़ा हिस्सा कुछ देर के लिए पूरी तरह से अव्यवस्थित क्यों ना हो जाए। –जैक वेल्व**

# एक-एक बूंद सहेजने का लेना होगा संकल्प

गर्मी की आहट के साथ ही सरकार के सामने आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बड़ी समस्या सामने आ जाती है। इस बार तो मार्च के पहले पखवाड़े में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरु कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की इस मायने में तारीफ करनी पड़ेगी कि गर्मी की आहट को देखते ही जलदाय विभाग ने प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की रणनीति बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाने शुरु कर दिए हैं। सरकार ने फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि गर्मी में पेयजल की मांग और आपूर्ति की अभी से रणनीति तय कर ली जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि किन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्या रहेगी उन क्षेत्रों में टेंकरों या अन्य वैकल्पिक साधनों से पेयजल आपूर्ति बनाये रखने की अभी से तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार ने इसके लिए कंटिंजेंसी राशि भी स्वीकृत की है। इस साल सकारात्मक पक्ष यह है कि समूचे प्रदेश में मानसून अच्छा रहा है और बांधों में पानी की अच्छी आवक रही है। जयपुर सहित चार जिलों में पेयजल आपूर्ति बनाये रखने की अहम जिम्मेदारी निभा रहे बीसलपुर बांध में भी इस साल पानी की अच्छी आवक रही हैं और खास बात यह कि इस साल तो एक दो दिन नहीं अपितु कई दिनों तक बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी तक करनी पड़ी है। संवेदनशील सरकार की यही पहचान होती है कि आमजन की समस्या को समझे और उसका समय रहते हल खोजा जाए ताकि समस्या के आने से पहले ही उसका समाधान उपलब्ध हो।

दरअसल संवेदनशील सरकार का संदेश देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीष्म काल में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार की हेल्पलाइन 141 पर दर्ज शिकायतों या परिवेदनाओं के 24 घंटे में निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी 41 जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान अभी से तैयार करने को कहा गया है। आवश्यकतानुसार नए हैण्डपंप और नलकूप लगाने के निर्देश दिए गए हैं तो जहां पर अधिक अंतराल में पानी की सप्लाई होती है वहां पर पेयजल सप्लाई के अंतराल की अवधि में कमी लाने के प्रयास करने को कहा गया है। इस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील सरकार का परिचय देते हुए गर्मीयों के मौसम के दौरान पेयजल की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए फील्ड मशीनरी को चाकचोबंद कर दिया है। हांलाकि निर्बाध जल आपूर्ति के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी एक शर्त है और इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से सतर्क और गंभीर है।

**दरअसल संवेदनशील सरकार का संदेश देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीष्म काल में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार की हेल्पलाइन 141 पर दर्ज शिकायतों या परिवेदनाओं के 24 घंटे में निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी 41 जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान अभी से तैयार करने को कहा गया है।**

दरअसल सरकार यदि आमआदमी से जुड़े मुद्दों पर गंभीर रहती है तो सरकार की बाहबाही ही होती है। पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के प्रमुख बिन्दु होते हैं जो सीधे आम आदमी से जुड़े होते हैं। सरकार यदि आमजनता से जुड़े इन मुद्दों के प्रति गंभीर रहती है तो आमआदमी में सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश ही जाता है। केवल समय रहते निर्णयों और प्रोएक्टिव भूमिका से सरकार इन समस्याओं को समस्या बनने से रोक पाती है। यह सभी जानते हैं कि गर्मी में पानी-बिजली की मांग बढ़ती ही है। ऐसे में समय रहते आपातकालीन कार्ययोजना तैयार कर ली जाती है तो समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। यह अपने आप में संवेदनशील सरकार की पहचान भी होती है। सबसे बड़ी बात यह कि इन समस्याओं को लेकर गली-कुंचों में होने वाले आंदोलन हो ही नहीं पाते और ना ही विपक्ष या अन्य को सरकार पर अंगुली उठाने का अवसर मिल पाता है। अब बीसलपुर की बात की जाय तो जहां 2019 में ओसतन 374 एमएलडी पानी की सप्लाई हुई वहीं गत वर्ष 2025 में रेकार्ड 537 एमएलडी पेयजल की औसतन आपूर्ति हुई। अब सरकार के पास मांग के आंकड़ें मौजूद है और यह भी तय है कि मांग साल दर साल बढ़ती ही है। वैसे भी इस साल अधिक गर्मी पड़ने की संभावनाएं है तो पीएचईडी मशीनरी को और अधिक तैयारियों के साथ एक्टिव मोड में रहना होगा। ऐसा नहीं है कि विभाग को सेंसेटिव या मांग वाले क्षेत्रों या यों कहें कि समस्या वाले इलाकों की जानकारी होती है। सवाल यह होता है कि ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में आपूर्ति व्यवस्था को चाक चोबंद कर लिया जाता है तो समस्या का काफी हद तक समाधान आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही ऐसे में फील्ड अधिकारियों पर पीक सीजन में दबाव भी नहीं पड़ पाता और सभी समस्याओं का समाधान समय रहते हो जाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने दूरगामी सोच के साथ गर्मी के मौसम में समूचे प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था चाकचोबंद रखने का संदेश दे दिया है। अब फील्ड अधिकारियों का दायित्व हो जाता है कि समय रहते आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर लें ताकि गर्मी के मौसम में प्रदेश के किसी भी हिस्से में पानी को लेकर किसी भी तरह से असंतोष नहीं होना चाहिए। कहीं भी आंदोलन, प्रदर्शन व कानून व्यवस्था के विपरीत हालात नहीं होने चाहिए। हांलाकि पीएचईडी के शीर्ष अधिकारियों से लेकर फील्ड अधिकारियों के लिए गर्मी में पेयजल की आपूर्ति बनाये रखना चुनौतीपूर्ण कार्य है और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार और विभाग ने कमर कस ली है। पर यहां आमजन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पानी को व्यर्थ नहीं जाने देने और आवश्यकतानुसार ही पानी के उपयोग की आदत डालनी होगी। आखिर सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सरकार और आमजन सहभागिता से चलेंगे तो व्यवस्था और अधिक प्रभावी तरीके से सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी। सकारात्मक सोच और एक-एक बूंद सहजने के संकल्प के साथ आमजन को आगे आना होगा।

**–अतिथि सम्पादक,**
**डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा**
**( वरिष्ठ लेखक )**

## राशिफल गुरूवार 19 मार्च, 2026

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 4:05 तक, शुक्ल योग रात्रि 1:17 तक, नाग करण प्रातः 6:53 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

**गृह स्थिति:** सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 4:05 से आरम्भ होगा। आज चैत्री और देवकार्य अमावस्या है। आज चान्द संवत्सर समाप्त होगा। आज पंचक है। प्रतिपद तिथि का क्षय हुआ है। आज कल्पादि चैत्र शुक्लादि, गुडी पडवा, श्री गौतम जयन्ती, संवत्सर फल श्रवण, ध्वजारोहण है। आज से बसन्त नवरात्रा आरम्भ होंगे। घट स्थापना अभिजित मुर्हत में करना सर्वश्रेष्ठ है। अभिजित मुर्हत समय दिन 12/11 से 12/58 के मध्य में करना अच्छा रहेगा।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** सूर्योदय से 8:06 तक, चर 11:05 से 12:53 तक, लाभ अमृत 12:35 से 3:24 तक, शुभ 5:44 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:36, सूर्यास्त 6:33

**मेष**
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

**सिंह**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

**धनु**
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में अनावश्यक वाद-विवाद हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

**वृष**
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

**कन्या**
परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मकर**
व्यावसायिक प्रयासों में सार्थक/उचित सफलता मिलेगी। नवीन व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। संभावित धन प्राप्त होगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**मिथुन**
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आज महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

**तुला**
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कुंभ**
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

**कर्क**
नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

**वृश्चिक**
आज परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

**मीन**
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

# समृद्ध विरासत, सशक्त वर्तमान और विकसित भविष्य का संकल्प

भजन लाल शर्मा

राजस्थान के इतिहास में संवत 2006 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च 1949) का दिन स्वर्णाक्षरों में अंकित है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और अथक परिश्रम से 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इन्द्रयोग में जयपुर में आयोजित भव्य समारोह में वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ था। इस वर्ष 19 मार्च को मनाया जाने वाला राजस्थान दिवस राजस्थान की आत्मा, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का उत्सव है। राजस्थान दिवस के इस पावन अवसर पर मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

भारतीय नववर्ष की शुरुआत का यह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारी संस्कृति में नववर्ष, नवचेतना और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह दिन हमारी सांस्कृतिक जड़ों, सामाजिक एकता और विकास की सामूहिक आकांक्षाओं का उत्सव है। यह दिन हमें अपनी गौरवशाली परंपराओं को स्मरण करते हुए भविष्य के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।

राजस्थान का निर्माण अनेक रियासतों के क्रमिक एकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। प्रारम्भ में 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना हुई। इसके बाद 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा को मिलाकर राजस्थान संघ का गठन हुआ। अगले चरण में 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ के इस संघ में शामिल होने से इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। अंततः 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी प्रमुख रियासतों के सम्मिलित होने से वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। वर्ष 1956 में अजमेर और माउंट आबू के जुड़ने से राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। वीरता, स्वाभिमान और अदम्य साहस की यह भूमि आज भी अपनी गौरवशाली परंपराओं को जीवंत बनाए हुए है। थार के विस्तृत मरुस्थल से लेकर अरावली की पर्वतमालाओं तक फैला यह प्रदेश प्राकृतिक विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत संगम है। हमारे भव्य किले-दुर्ग, हवेलियां, मंदिर, लोकगीत, लोकनृत्य और रंग-बिरंगे मेले-उत्सव राजस्थान की विशिष्ट पहचान हैं। सीमित जल संसाधनों और कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहां के निवासियों ने अपने परिश्रम और संकल्प से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अन्त्योदय की भावना को साकार करते हुए हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दृष्टि से हमने विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत वर्ष 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर, वर्ष 2035 तक 800 बिलियन डॉलर, वर्ष 2040 तक 1.6 ट्रिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य की आर्थिक प्रगति के संकेत उत्साहजनक हैं। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 17.04 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है और राज्य की विकास दर 12.02 प्रतिशत आंकी गई है, जो राष्ट्रीय औसत 9.8 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 1,15,534 रुपये थी, वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 1,85,053 रुपये हो चुकी है और वर्ष 2025-26 में इसके दो लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

राजस्थान को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से प्रदेश में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं, इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, एमएसएमई नीति, निर्यात संवर्धन नीति, टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति, लॉजिस्टिक्स नीति, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, सिविल एविएशन नीति, डेटा सेंटर नीति और एआई/एमएल नीति-2026 जैसी अनेक महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं। प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास के लिए एक जिलादृएक उत्पाद योजना को प्रोत्साहित करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

जल प्रबंधन और सिंचाई राजस्थान के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारी सरकार रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर और देवास परियोजना सहित अनेक पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ आबादी को पेयजल और लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रदेश में 8 हजार 261 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। वर्तमान में 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है और वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हमारी सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा रही है। फसल बीमा, पशुओं का निःशुल्क बीमा, मोबाइल वेटरनरी सेवाएं और गौशालाओं को वित्तीय सहायता जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना रही हैं।

राज्य के युवाओं को रोजगार और अवसर प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अब तक एक लाख 25 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि एक लाख 35 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वर्ष 2026 के लिए एक लाख 25 हजार पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया है, जिससे युवाओं को व्यापक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी अभियान और सोलर दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। गत वर्षों में राजस्थान 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम, 5 योजनाओं में द्वितीय और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तृतीय स्थान प्राप्त कर चुका है।

राजस्थान दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि यह प्रदेश केवल इतिहास की गौरवगाथा नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं की भूमि भी है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधन और मेहनती जनशक्ति मिलकर आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत राजस्थान का निर्माण कर सकते हैं। आइये हम सब मिलकर विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध, सुरक्षित और गौरवशाली राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें।

जय जय राजस्थान।

**–भजन लाल शर्मा,**
**मुख्यमंत्री, राजस्थान।**

# राजस्थान की लोकतांत्रिक यात्रा में राज्य विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका, परम्परा और नवाचार

## 77 वें राजस्थान दिवस 19 मार्च पर विशेष.....

वासुदेव देवनानी

15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी शासन से मिली स्वतंत्रता के पश्चात तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों के एकीकरण के कार्य को बखूबी से पूरा किया था। इसी क्रम में राजपूताना की विभिन्न रियासतों के विभिन्न चरणों में विलय से 30 मार्च 1949 को आधुनिक राजस्थान का गठन हुआ। 30 मार्च 1949 को हिन्दू नव वर्ष तिथि चैत्र प्रतिपदा थी इसलिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान दिवस को तिथि अनुसार मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष राजस्थान दिवस की तिथि 19 मार्च को है।

राजस्थान का गठन केवल एक भौगोलिक या प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था बल्कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना का एक महत्वपूर्ण क्षण था। बाईस छोटी-बड़ी रियासतों के एकीकरण से बने इस विशाल प्रदेश को लोकतांत्रिक दिशा देने का दायित्व जिस संस्था ने निभाया, वह है राजस्थान की विधानसभा। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राजस्थान विधानसभा की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को किया गया। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने और नरोत्तम लाल जोशी पहले विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। कालांतर में राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत अजमेर राज्य के राजस्थान में विलय के बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ी और समय-समय पर परिसीमन के बाद यह संख्या बढ़ते-बढ़ते वर्तमान 200 सदस्यों की संख्या तक पहुँची है। निकट भविष्य में जनगणना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा कराए जाने वाले परिसीमन के बाद यह संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है।

राजस्थान विधानसभा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और राजस्थान की स्थापना के पिछले 77 वर्षों में राजस्थान विधानसभा ने अपने करीब 75 वर्षों की यात्रा में राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। राजस्थान विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। पिछले सात दशकों में राज्य विधानसभा ने अनेक ऐसे विधेयक पारित किए जिनसे राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन आया है। इसके तहत मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों ने सामंती व्यवस्था को समाप्त करने और किसानों को अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इससे ग्रामीण समाज में सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में शिक्षा के विस्तार, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। इन कानूनों ने राजस्थान को एक प्रगतिशील और समावेशी समाज की दिशा में आगे बढ़ाया है। साथ ही इन निर्णयों ने राजस्थान को एक आधुनिक और प्रगतिशील राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजस्थान विधानसभा लोकतांत्रिक संवाद और बहस का प्रमुख मंच है। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होने वाली चर्चाएँ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को दर्शाती हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विशेष चर्चाओं के माध्यम से विधायक सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है क्योंकि इसके माध्यम से जनता की आवाज सीधे शासन तक पहुँचती है।

विधानसभा की विभिन्न समितियाँ शासन व्यवस्था की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और आश्वासन समिति जैसी समितियाँ सरकार की योजनाओं, नीतियों और खर्चों की समीक्षा करती हैं।इन समितियों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों की गहन जांच होती है और शासन को अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाया जाता है। समय के साथ राजस्थान विधानसभा ने आधुनिक तकनीक को अपनाकर अपने कामकाज को अधिक प्रभावी बनाया है। ई-विधान प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया गया है, जिससे कागज के उपयोग में कमी आई है और कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित हुई है। सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण भी शुरू किया गया है। राजस्थान विधानसभा ने युवाओं और विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। छात्र संसद, युवा संवाद और शैक्षिणक भ्रमण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली से परिचित कराया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना है।

विधानसभा केवल विधायी गतिविधियों का केंद्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सरोकारों को भी महत्व देती है। लोकतंत्र की मजबूती पारदर्शिता और जवाबदेही पर निर्भर करती है। राजस्थान विधानसभा ने इस दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सदन की कार्यवाही का प्रसारण, दस्तावेजों की ऑनलाइन उपलब्धता और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन को अधिक खुला और पारदर्शी बनाता है।

पिछले दो वर्षों में विधानसभा में कई नवाचार करने का प्रयास किया गया हैं। इन प्रयासों से विधानसभा को अधिक जनोन्मुख और संवादपरक मंच बनाने की दिशा में नई पहलें शुरू हुई हैं। विधानसभा की डायरी को अंग्रेजी वर्ष के पहले माह जनवरी के स्थान पर हिन्दू वर्ष चैत्र प्रतिपदा पर प्रकाशित करने की नई परम्परा शुरू की गई है। साथ ही इस वर्ष अंग्रेजी वर्ष 2026 के कलेंडर को वन्दे मातरम् की ऐतिहासिक यात्रा के घटनाक्रमों को समर्पित किया गया है।

विधानसभा में एक भी प्रश्न का जवाब लम्बित नहीं रहें। इसके लिए पिछले दो वर्षों में गंभीर प्रयास किए गए है जिसके फलस्वरूप लंबित्व प्रश्नों के 97 प्रतिशत जवाब आए है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में विधानसभा एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित हुई है जिसने जनता और शासन के बीच विश्वास को मजबूत किया है। राज्य विधानसभा राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख केन्द्र और सशक्त आधार स्तंभ है, जिसने राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद जब देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ, तब राजस्थान भी इस प्रक्रिया से गुजरा। विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बाद 1952 में पहली बार राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ और लोकतंत्र की इस संस्था ने जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने का काम शुरू किया। प्रारंभिक वर्षों में विधानसभा की कार्यवाही सीमित संसाधनों और पारंपरिक तरीकों से संचालित होती थी, लेकिन समय के साथ-साथ इसमें कई सुधार हुए। सदन में होने वाली बहसों ने न केवल राज्य की नीतियों को दिशा दी, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को भी मजबूत किया।

विधानसभा की गरिमा बनाए रखने में समय-समय पर विभिन्न विधानसभाध्यक्षों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्यक्ष का पद निष्पक्षता, अनुशासन और सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी से जुड़ा होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रयास है कि राजस्थान विधानसभा को भारत की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा में शुमार कराया जाए। इसी भावना के साथ विधानसभा में कई नवाचारों की शुरुआत की है, जिनकी चर्चा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अन्य विधानसभाओं में भी हो रही है। विधानसभा को अधिक जनोन्मुखी और आधुनिक बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। सदन की कार्यवाही को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया। विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेजों और सूचनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की पहल ने पारदर्शिता को मजबूत किया है। इसके अलावा विधानसभा परिसर में सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत भी एक उल्लेखनीय पहल मानी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जैसे अवसरों को विधानसभा में विशेष रूप से मनाना और महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित करना इसी दिशा का एक उदाहरण है। युवाओं और विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भी कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यवाही से परिचित कराने और उन्हें लोकतंत्र की कार्यप्रणाली समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। साथ ही, सदन में अनुशासन और स्वस्थ बहस की परंपरा को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष के रूप में मेरा यह प्रयास रहा है कि सभी दलों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले और सदन की कार्यवाही गरिमामय ढंग से चले।

आज जब राजस्थान अपने स्थापना के 77 वर्ष पूरे कर अपना रजत जयंती पूरा कर चुका है। इसी दौरान राजस्थान विधानसभा भी अपनी रजत जयंती वर्ष के प्रवेश कर रहा है। राजस्थान विधानसभा ने राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। पिछले 75 वर्षों में राजस्थान विधानसभा ने राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। कानून निर्माण, संसदीय परंपराओं के विकास, जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में और तकनीकी नवाचारों को अपनाने के माध्यम से इस संस्था का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

आने वाले वर्षों में भी राजस्थान विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती रहेगी ऐसी उम्मीद है।

इस वर्ष राजस